निर्माण IAS

19TH APRIL THE HINDU

HARD LANDING (जेट एयरवेज) पेपर 3 अवसंरचना

· कर्ज में डूबे जेट एयरवेज के प्रबंधको ने जेट की सेवा को अस्थायी रूप से निलंबित करने का फैसला लिया है। वित्तीय मदद के अभाव में जेट एयरवेज ने अपनी सभी उड़ाने अस्थायी रूप से बंद कर दी हैं।

 25 साल पुरानी एयरलाइन्स कंपनी पर 8 हजार करोड़ से अधिक का कर्ज है और बैंकों ने 400 करोड़ रू. का इमरजेंसी फंड देने से मना कर दिया है। इसके बाद कंपनी के पास 'शटर डाउन' के अलावा कोई भी विकल्प नहीं बचा है।

प्रमुख कारण

- घरेलू एयरलाईन्स के बीच प्रतिस्पर्धा के चलते कई बार अन्य एयरलाइन्स की तुलना में किराया कम किया जाता है, जिससे एयरलाईन्स का लाभ कम हो जाता है।
- घरेलू एयरलाईन्स व अंर्तराष्ट्रीय एयरलाईन्स के बीच प्रतिस्पर्धा का होना
- फ्यूल या ईंधन का महंगा होना
- सरकार द्वारा लगाए जाने वाले कर व अधिभार की मात्रा (एयरपोर्ट चार्जेज) अधिक होने से एयरलाइन्स लाभ कम हो जाता है।
- पिछले 10 सालों में आधे दर्जन से अधिक एयरलाईन्स कंपनियां जैसे किंगिफशयर, एयर डेक्कन, एयर सहारा बंद हो गई हैं। ये भारतीय अर्थव्यवस्था को नकारात्मक रूप से प्रभावित करता है।
 उपाय- सरकार द्वारा लगाए जाने का अधिभार तथा एयरपोर्ट चार्ज को कम करना चाहिए। केंद्र द्वारा हवाई अड्डे की लीवी के अलावा ईंधनकरों, अधिभार की समीक्षा करके एयरलाईन्स की मदद की जा सकती है।
- आखिरकार एक एयरलाईन उद्योग द्वारा लंबी अवधि सरकारी राजस्व के लिए बेहतर साबित होगी।

नागर विमानन मंत्रालय (MINISTRY OF CIVIL AVIATION)

- नई दिल्ली में स्थित नागर विमानन मंत्रालय विकास के लिए राष्ट्रीय नीतियों एवं कार्यक्रमों के गठन तथा देश में नागर विमानन सेक्टर के विनियमन के लिए उत्तरदायी है। इसके चार क्षेत्रीय कार्यालय दिल्ली, मुम्बई, कोलकाता तथा चेन्नई में स्थित है।
- यह विमान अधिनियम 1934, विमान नियम 1937 तथा विमान सेक्टर से संबंधित अन्य विधियों के प्रशासन के लिए उत्तरदायी है।
- आरंभिक तौर पर नागर विमानन सुरक्षा ब्यूरो की स्थापना पांडे समिति की सिफारिशों पर जनवरी, 1978 में नागर विमानन महानिदेशालय में एक प्रकोष्ठा के रूप में हुई थी।
- 1 अप्रैल, 1997 को नागर विमा<mark>नन सुरक्षा ब्यूरो की पुन: स्थापना नागर विमान</mark>न मंत्रालय में एक स्वतंत्र विभाग के रूप में हुई। नागर विमानन सुरक्षा <mark>ब्यौरों के मुख्य उत्तरदायित्व</mark> में भारत में अंर्तराष्ट्रीय तथा घरेलू हवाई अड्डों पर नागरिक उड़ानों के संबंध में मानकों तथा उपायों का निर्धारित करना शामिल है।

प्रमुख कार्य

- हवाई अड्डा संचालकों, एयरलाइंस ऑपरेटरों के लिए (ICO) आईसीएओ के शिकागी सम्मेलन के अनुसार उड्डयन सुरक्षा मानक और उनकी सुरक्षा एजेंसियों उपायों को लागू करने के लिए जिम्मेदार हैं।
- सुरक्षा नियमों तथा विनियमों की मॉनीटरिंग और सुरक्षा आवश्यकताओं के लिए सर्वेक्षण करना।
- यह सुनिश्चित करना कि सुरक्षा नियंत्रणों को लागू करने वाले व्यक्ति उपयुक्त रूप से प्रशिक्षित हों तथा
 अपने कर्तव्यों के निष्पादन के लिए अपेक्षित सभी सक्षमताएं ग्रहण किए हों।
- विमानन सुरक्षा विषयों का नियोजन तथा समन्वय।
- सुरक्षा कर्मिकों की प्रवीणता कौशल तथा सतर्कता की जांच करने के लिए
- आकस्मिक जांचों की कुशलता तथा विभिन्न एजेंसियों की संचालन तत्परता की जांच करने के लिए अभ्यास आयोजित करना।

निर्माण IAS निर्माण IAS

निर्माण IAS

प्रारंभिक परीक्षा प्रश्न

- 1. नागर विमानन मंत्रालय के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए-
 - 1. यह विमान अधिनियम 1934, विमान नियम 1937 के द्वारा प्रशासन करता है।
 - 2. आरंभ से ही यह मंत्रालय स्वतंत्र विभाग के रूप में कार्यरत है। उपर्युक्त कथनों में से कौन से सत्य हैं?
 - (a) केवल 1
 - (b) केवल 2
 - (c) 1 और 2 दोनों
 - (d) न तो 1 और न ही 2

मुख्य परीक्षा प्रश्न

प्रश्न - हाल ही में निजी विमानन उद्योग द्वारा विभिन्न चुनौतियों का सामना किया जा रहा है। ऐसे में भारत सरकार की 'उड़ान' जैसी योजनाएं कितनी सार्थक हैं? विमानन उद्योगों को संकट से बाहर निकालने के क्या उपाय किए जाने चाहिए।



निर्माण IAS निर्माण IAS